संख्या-828/2026/नौ-5-2026/002-Computer No-2035801

प्रेषक,

देवेश मिश्र
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, बेल्हा (प्रतापगढ़)/खलीलाबाद (संतकबीरनगर)/नौतनवॉ (महराजगंज)/गोण्डा (गोण्डा)/जौनपुर (जौनपुर)/मऊनाथभंजन (मऊ)।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 27 मार्च, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य सेक्टर के नगरीय झील/तालाब/पोखर संरक्षण योजना के अन्तर्गत नगर पालिका परिषदों में स्थित तालाबों के सौन्दर्यीकरण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में नगरीय झील/पोखर/तालाब संरक्षण योजना के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, बेल्हा (प्रतापगढ़)/खलीलाबाद (संतकबीरनगर)/नौतनवॉ (महराजगंज)/गोण्डा (गोण्डा)/जौनपुर (जौनपुर)/ मऊनाथभंजन (मऊ) में स्थित तालाबों/पोखरों के सौन्दर्यीकरण कार्यो हेतु संलग्न विवरण के अनुसार रू**0 360.86** लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू**0 163.43 लाख (रुपये एक करोड़ तिरसठ लाख तैंतालीस हजार मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकायों के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी.एल.ए./डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से तीन दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।
2. स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यो पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है।
3. योजनान्तर्गात शासनादेश संख्या-3357/नौ-5-2025-65सा/2025 दिनांक 10 जून, 2025 द्वारा निर्गत दिशाका अनुपालन कराया जायेगा। निर्देशों-
4. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।
5. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।
6. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानोंसमय पर शासन -समय/ शासनादेशों के अनुरूप किया जाये द्वारा निर्गत जायेगा।
7. प्रश्नशगत धनराशि जिस कार्यमद में स्वीकृत की जा रही/, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्यकिया जायेगा। उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार/मद में किया जाय। सामग्री/

8. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओंकार्यक्रमों में पुन/रावृत्ति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
9. कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय फोर्स द्वारा नियत 'डिस्पले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
10. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन तथा महालेखाकार-, उत्तर प्रदेश प्रयागराज को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जाय।
11. लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
12. कार्य की गुणवत्ता का उत्तरदायित्व, संबंधित निकाय के अधिशासी अधिकारी की होगी।
13. वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रकलेखाधिकारी /वरिष्ठ/मुख्य/ अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चत करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त, नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त, विभाग को दे दी जाय।
14. इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक -27-मार्च, 2025 द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया - जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,63,43,000 (रुपये एक करोड़ तिरेसठ लाख तैंतालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 037 **लेखा शीर्षक** 2217801920700 नगरीय झील / तालाब / पोखर संरक्षण योजना **मानक मद** 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या–E-9-602-X-2025-26-दिनांक: 27-03-2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

(देवेश मिश्र)
संयुक्त सचिव।

संख्या-828/2026/नौ-5-2026/002-Computer No-2035801, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज ।
2-महालेखाकार(लेखा-परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज ।
3-संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
4-संबंधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
5-संबंधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
6-निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1/2।
8-निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9-गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

आज्ञा से,

(देवेश मिश्र)
संयुक्त सचिव।

संख्या-**828/2026/**नौ-5-2026/**002-Computer No-2035801,** दिनांक 27 मार्च, **2026**

(धनराशि लाख में)

क्र0सं0	**जनपद**	**निकाय**	**कार्य का नाम**	**प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति**	**प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि**
1	**2**	**3**	**5**	**6**	**7**
1	प्रतापगढ़	नगर पालिका परिषद, बेल्हा	वार्ड संख्या-13 जोगापुर वार्ड में स्थित तालाब गाटा संख्या-670ख क्षेत्रफल-0.0860हे0 का तटबन्ध निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य।	50.09	22.00
2	संतकबीरनगर	नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद	वार्ड नं0 10 मो0 मोहद्दीनपुर में गौशाला के सामने स्थित पोखरे का सौन्दर्यीकरण कार्य।	109.11	53.43
3	महराजगंज	नगर पालिका परिषद, नौतनवॉ	वार्ड नं0 16 बहादुरशाहनगर में पोखरे की सफाई एवं सौन्दर्यीकरण कार्य।	50.79	22.00
4	गोण्डा	नगर पालिका परिषद, गोण्डा	भुतहा तालाब का सौन्दर्यीकरण कार्य।	50.00	22.00
5	जौनपुर	नगर पालिका परिषद, जौनपुर	वार्ड डेरायुसुक स्थित तालाब का सौन्दर्यीकरण कार्य।	50.84	22.00
6	मऊ	नगर पालिका परिषद, मउनाथ भंजन	वार्ड नं0 16 मुहल्ला सलाहाबाद में आराजी नं0 3 में पोखरे का निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण कार्य।	50.03	22.00
			योगः-	**360.86**	**163.43**

रू**0 163.43** लाख (रुपये एक करोड़ तिरसठ लाख तैंतालीस हजार मात्र)

(देवेश मिश्र)
संयुक्त सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026
आवंटन दिनांक-27/03/2026

प्रेषण संख्या:- 828
आवंटन आदेश संख्या:- 001-828-2026-9-5-2026-002-CN-2035801
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2217 - शहरी विकास(आयोजनेत्तर-मतदेय)
80 - सामान्य
192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषदों को सहायता
07 - नगरीय झील / तालाब / पोखर संरक्षण योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	जौनपुर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2200000 15783000	2200000 15783000
2	गोण्डा-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2200000 9700000	2200000 9700000
3	प्रतापगढ-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2200000 2200000	2200000 2200000
4	मऊ-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2200000 2200000	2200000 2200000
5	महाराजगंज-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2200000 21425000	2200000 21425000
6	संत कबीर नगर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5343000 15843000	5343000 15843000
	योग	वर्तमान प्रगामी	16343000 67151000	16343000 67151000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ तिरेसठ लाख तियालीस हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छ: करोड़ इकत्तर लाख इक्यावन हजार

(देवेश मिश्र)
संयुक्त सचिव